अध्याय-I
परिचय

अध्याय-I
परिचय

1.1 बजट रूपरेखा

राज्य में 53 विभाग और 60 स्वायत्त निकाय हैं। 2011-16 के दौरान राज्य सरकार के बजट प्राक्कलनों एवं उनके प्रति वास्तविक व्यय की स्थिति **तालिका-1.1** में दी गई है।

तालिका-1.1: 2011-16 के दौरान राज्य सरकार का बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	5,971	5,690	6,651	6,618	7,196	7,047	8,344	7,604	9,207	8,788
सामाजिक सेवाएं	5,669	5,147	6,635	6,131	7,117	6,706	7,913	7,451	9,676	7,980
आर्थिक सेवाएं	3,819	3,049	4,517	3,418	4,873	3,590	5,413	4,723	6,407	5,525
सहायता अनुदान तथा अंशदान	12	12	7	7	3	9	3	9	5	10
योग (1)	**15,471**	**13,898**	**17,810**	**16,174**	**19,189**	**17,352**	**21,673**	**19,787**	**25,295**	**22,303**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	**1,899**	**1,810**	**2,059**	**1,955**	**2,104**	**1,856**	**1,993**	**2,473**	**2,991**	**2,864**
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	**390**	**493**	**379**	**469**	**342**	**531**	**367**	**474**	**397**	**463**
लोक ऋण की चुकौती	**1,099**	**1,128**	**1,930**	**2,117**	**1,714**	**1,704**	**1,511**	**8,260**	**1,503**	**3,948**
आकस्मिकता निधि	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
लोक लेखा संवितरण	**1987**	**8,526**	**2,288**	**8,285**	**2,828**	**9,227**	**2,978**	**8,844**	**2,978**	**10,577**
अंत रोकड़ शेष	--	**569**	--	**(-) 295**	--	**(-) 887**	--	**(-) 739**	--	**216**
योग (2)	**5,375**	**12,526**	**6,656**	**12,531**	**6,988**	**12,431**	**6,849**	**19,312**	**7,869**	**18,068**
सकल योग (1+2)	**20,846**	**26,424**	**24,466**	**28,705**	**26,177**	**29,783**	**28,522**	**39,099**	**33,164**	**40,371**

स्रोत: राज्य सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और वित्त लेखे।

1.2 राज्य सरकार के संसाधनों की प्रयोज्यता

2011-16 के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] ₹ 16,201 करोड़ से बढ़कर ₹ 25,630 करोड़ हो गया जबकि राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2011-12 में ₹ 13,898 करोड़ से 60 *प्रतिशत* बढ़कर 2015-16 में ₹ 22,303 करोड़ हो गया। 2011-16 की अवधि के दौरान अयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 12,197 करोड़ से 54 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 18,810 करोड़ हो गया और पूंजीगत व्यय ₹ 1,810 करोड़ से 58 *प्रतिशत* बढ़कर ₹ 2,864 करोड़ हो गया।

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

वर्ष 2011-16 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय 86 से 88 *प्रतिशत* और पूंजीगत व्यय 9 से 11 *प्रतिशत* था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में 10 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में 13 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई।

1.3 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधी अंतरित निधियां

2015-16 के दौरान भारत सरकार ने बिना राज्य बजट के माध्यम से विभिन्न राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 364.57 करोड़ सीधे अंतरित किये। परिणामस्वरूप, ये राशियां वार्षिक लेखों (वित्त लेखों और विनियोजन लेखों) के क्षेत्र से बाहर रहीं।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान **तालिका-1.2** में दिये गये हैं।

तालिका-1.2: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
योजनेत्तर अनुदान	2,647	2,526	2,025	1,199	8,524
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	3,342	4,179	3,765	4,333	756
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	27	28	17	31	38
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	505	580	507	1,615	1,978
योग	**6,521**	**7,313**	**6,314**	**7,178**	**11,296**
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	15.25	12.15	(-) 13.66	13.68	57.36
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	45	47	40	40	48

2011-13 की अवधि के दौरान भारत सरकार से कुल सहायता अनुदान ₹ 6,521 करोड़ से बढ़कर ₹ 7,313 करोड़ हो गया। लेकिन वर्ष 2013-14 के दौरान यह ₹ 7,313 करोड़ से ₹ 999 करोड़ घटकर ₹ 6,314 करोड़ रह गया जिसका कारण मुख्यत: तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों में ₹ 554 करोड़ तथा राज्य योजना स्कीम हेतु अनुदान में ₹ 414 करोड़ घटने के कारण की कमी थी तथापि, 2014-16 के दौरान यह ₹ 6,314 करोड़ बढ़कर ₹ 11,296 करोड़ हो गया। 2011-16 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रति इनकी प्रतिशत्ता 40 और 48 *प्रतिशत* के मध्य रही।

1.5 लेखापरीक्षा योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत निकायों, स्कीमों/ परियोजनाओं की गतिविधियों का गंभीरता/ जटिलता से मूल्यांकन, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण एवं हित-धारकों की चिन्ताओं के जोखिम निर्धारण और विगत लेखापरीक्षा परिणामों के साथ आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा क्षेत्र निश्चित किया जाता है और एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

लेखापरीक्षा की पूर्णता के पश्चात् लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों को एक मास के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालना हेतु आगामी कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं, में सम्मिलित करने के लिए संसाधित किया जाता है।

2015-16 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य के 759 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों और 51 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त, पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं भी संचालित की गई।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन/ गतिविधियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर कई महत्त्वपूर्ण कमियां, जिनका कार्यक्रमों की सफलता और विभागों की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, प्रतिवेदित की है। ध्यान, विशिष्ट कार्यक्रमों/ स्कीमों की लेखापरीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई तथा नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु कार्यकारी विभाग को उपयुक्त सिफारिशों की पेशकश करने पर केन्द्रित था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली, 2007 के अनुसार प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/ प्रारूप परिच्छेदों में विभागों से उनकी प्रतिक्रियाएं भेजने की अपेक्षा छः सप्ताह के भीतर की जाती हैं। प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा परिच्छेद सम्बंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों/ सचिवों को उनके उत्तर प्राप्त करने के लिये अग्रेषित किये गये थे। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु पांच निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 31 प्रारूप परिच्छेद पर प्रारूप प्रतिवेदन सम्बंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किये गये थे। किन्तु मात्र चार मामलों में ही सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है। मामला नवम्बर 2016 में राज्य के मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया था।

1.7 लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आई वसूलियों से युक्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि तथा लेखापरीक्षा के सूचनाधीन आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित किए गए थे।

4,684 मामलों में इंगित किए गए ₹ 3.54 करोड़ की वसूली के प्रति सम्बंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा 2015-16 के दौरान 1,336 मामलों में ₹ 0.75 करोड़ की वसूली की गई जैसाकि **तालिका-1.3** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-1.3: 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई और विभागों द्वारा स्वीकार/ वसूल की गई वसूलियों का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

विभाग	ध्यान में आई वसूलियों का विवरण	2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित की गई और विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां		2015-16 के दौरान की गई वसूलियां	
		मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
विविध विभाग	चिकित्सा प्रतिपूर्ति, वेतन आदि में अतिरिक्त भुगतान की वजह से अधिक भुगतान	4,684	3.54	1,336	0.75

1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी

कार्यालयाध्यक्षों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति के चार हफ्तों के भीतर अपनी अनुपालना प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को रिपोर्ट करना अपेक्षित होता है। नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर 31 मार्च 2016 को 33,103 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से युक्त बकाया 8,351 निरीक्षण प्रतिवेदन **तालिका-1.4** में दिए गए हैं।

तालिका-1.4: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/ परिच्छेद

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अंतर्ग्रस्त राशि
1.	सामाजिक क्षेत्र	5,988	25,246	12,230.85
2.	सामान्य क्षेत्र	1,153	4,509	9,070.96
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	1,210	3,348	2,091.79
कुल		**8,351**	**33,103**	**23,393.60**

सितम्बर 2015 तक भू-राजस्व विभाग तथा शहरी विकास विभाग से सम्बंधित 68 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[2] को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2016 के अंत तक 351 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित लगभग ₹ 2108.94 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 2,349 परिच्छेद बकाया रहे। इनमें से ₹ 201.78 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 363 परिच्छेदों का 10 वर्षों से अधिक समय से निपटान नहीं किया गया था। इन बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-1.1** में और अनियमितताओं के प्रकार का विवरण **परिशिष्ट-1.2** में दिया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित अभ्युक्तियों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा निश्चित समयावधि में कार्रवाई करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप उनकी जवाबदेही में कमी आई। सरकार द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर शीघ्र तथा उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मामले पर गौर करने की सिफारिश की जाती है।

1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रशासनिक विभागों द्वारा लोक लेखा समिति की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट समस्त लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं समीक्षाओं पर इसकी परवाह न करते हुए कि लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जांच हेतु अधिग्रहण किया गया है अथवा नहीं, स्वत: प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानसभा में प्रस्तुत करने के तीन महीनों के भीतर उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित विस्तृत टिप्पणियां जो उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा किये जाने के लिए प्रस्तावित हैं, को दर्शाती हैं, भी प्रस्तुत करनी थी।

31 मार्च 2015 को समाप्त अवधि तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की 31 अगस्त 2016 की स्थिति **तालिका-1.5** में दी गई है।

तालिका-1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2016 को लम्बित कार्रवाई टिप्पणियां	राज्य विधान सभा में प्रस्तुति की तिथि	कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति हेतु देय तिथि
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)	2011-12	राजस्व	01	09.04.2013	08.07.2013
	2012-13	शिक्षा	02	21.02.2014	20.05.2014
		जनजातीय विकास	01		
	2013-14	शहरी विभाग	01	10.04.2015	09.07.2015
		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	02		
		चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	01		
		योजना	01		
		जनजातीय विकास	01		
		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	02		
	2014-15	विविध विभाग	32	07.04.2016	06.07.2016
राज्य वित्त	2013-14	वित्त एवं विविध विभाग	सभी अध्याय	10.04.2015	09.07.2015
	2014-15			07.04.2016	06.07.2016

[2] भू-राजस्व: 22 और शहरी विकास: 46

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षाएं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण

विगत तीन वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षाएं और परिच्छेदों का वर्षवार विवरण उनके मुद्रा मूल्य सहित **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6: 2012-15 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और परिच्छेदों का विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		परिच्छेद		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रारूप परिच्छेद
2012-13	3	579.78	22	679.17	1	7
2013-14	4	1879.92	23	169.85	-	2
2014-15	4	1389.83	28	653.39	-	3

2015-16 के दौरान राज्य सरकार को पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 31 लेखापरीक्षा परिच्छेद जारी किए गए थे। तथापि, सरकार से मात्र चार परिच्छेदों के सम्बंध में उत्तर प्राप्त हुआ था।

इस प्रतिवेदन में पांच निष्पादन लेखापरीक्षाएं जिनका मुद्रा मूल्य ₹ 343.99 करोड़ व 13 लेखापरीक्षा परिच्छेद जिनका मुद्रा मूल्य ₹ 67.62 करोड़ है सम्मिलित किए गए हैं। जिनके उत्तर प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रतिवेदन में यथाचित सम्मिलित कर दिया गया है।